16/11/20[illegible] | प्रार्थना पत्र 212 हेतु [illegible] आदेश
पत्रा. दिनांक 25/11/2022 को पेश हो।

25/11/2022 | पत्रा. पेश हुई। वकील वादी उप.। प्रार्थना पत्र 212 RTA अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2023.02.13 12:59:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ पालानीचामी I.A.S.)

प्रकरण सं. 9/2019
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2019/00025
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 25/11/2022

1. हरपति वेवा रघुपति उम्र 60 वर्ष जाति जाटव निवासी तलछेरा तह. नदबई

प्रार्थी

बनाम

1. परताप पुत्र रघुवर जाति गुर्जर निवासी लखनपुर तहसील नदबई(भरतपुर)
2. राधाकिशन पुत्र नत्थी जाति गुर्जर निवासी तलछेरा तहसील नदबई(भरतपुर)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
4. सबरजिस्ट्रार महोद्य नदबई।

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री ओमप्रकाश बिहारिया एड.(प्रार्थी की ओर से)

निर्णय प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. यह है कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
2. यह है कि विवादित आराजी खाता न. 480 के आराजी खसरा 135 व हाल आराजी खाता सं. 277 के आराजी 277 के आराजी खसरा नम्बर 136 रकवा 0. 35, 137 रकवा 0.41 वाके ग्राम तलछेरा तहसील नदबई में स्थित है। नकल जमाबंदी सं.2073 से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।
3. यह कि विवादित आराजी वर्णित मद सं. 2 प्रार्थना पत्र की आाजी पैतृक सम्पत्ति की आराजी है, प्रार्थीया स्वयं एवं प्रतिवादी सं. 5 लगायत 11 का सजरा निम्न प्रकार पेश है :–

रघुपति							
हरपति(पत्नि)	शकुन्तला(पुत्री)	विज्जो(पुत्री)	सुनीता(पुत्री)	ममता(पु[illegible]	[illegible]न(पुत्र)	राजपाल(पुत्र)	रामसिह(पुत्र)

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2023.02.13 12:59:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

4. यह कि विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी रघुपति को उसके पूर्वजों से प्राप्त पैतृक सम्पत्ति है। जिस पर त. प्रतिवादी सं. 5 लगायत 11 का जन्म से हक व हिस्सा निहित था, लेकिन अप्रार्थी सं. 1 जो कि जाति से गूजर है, तथा अप्रार्थी स. 2 का सगा साला रिश्तेदार है। षडयंत्रपूर्वक तथा अपनी जाति को गलत अंकित कराते हुए दिनांक 06.06.1996 को प्रार्थीया एवं प्रतिवादी सं. 5 लगायत 11 के पति एवं पिता को बहला फुसला कर बिना प्रतिफल दिये रजिस्टर्ड बयनामा तस्दीक करा लिया है। जबकि अप्रार्थी सं. 1 की जाति असल में गूजर है। जबकि उक्त आराजी अनुसूचित जाति की आराजी गूजर के लिये बयनामा तस्दीक नहीं कराया जा सकता है, तथा अब प्रार्थीया एवं प्रतिवादी सं. 5 लगायत 11 के पति एवं पिता रघुपति पुत्र सुन्दर जाति जाटव निवासी तलछेरा तहसील नदबई की मृत्यु दिनांक 07.01.2014 को हो चुकी है। प्रार्थीयान प्रतिवादी सं. 5 लगायत 11 को अपने पति व पिता के फौत हो जाने के बाद उक्त बाबत् जानकारी हुई ऐसी स्थिति में विवादित आराजी वर्णित मद सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी का अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा षडयंत्र पूर्वक व जासाजी से कराया गया बयनामा दिनांक 06.06.1996 कूटरचित दस्तावेज होने के कारण व प्रतिवादी सं. 5 लगायत 11 का हिन्दू उत्तराधिकार अधिकार के तहत हक व हिस्सा निहित होने के कारण नल एण्ड बोईड है, व प्रभावहीन है, जिससे प्रार्थीया व त. प्रतिवादीगण सं. 5 लगायत 11 को सख्त हकतलफी है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं. 1 के नाम चले आ रहे वाहिद इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन किया जाकर प्रार्थीय प्रतिवादी सं. 5 लगायत 11 के साथ–साथ अपने आपको खातेदार काश्तकार काबिज घोषित करा पाने के अधिकारी है।

5. यह कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने प्रार्थीया को मुकाम ग्राम तलछेरा पर दिनांक 20.02.2010 को यह एलानियां धमकी दी है कि वह विवादित आराजी वर्णित मद सं. 2 का छल कपट व कूटरचित दस्तावेजात कराकर अपने नाम खातेदारी करा ली है। अब विवादित आराजी को किसी [illegible] लठैत दीगर व्यक्तियों को बेचान करके रहेंगे तथा प्रार्थीया को उसके हक व हिस्से से महरूम कर देंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2023.02.13 12:59:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रहनवयमुन्तकिल कर देंगे, जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि अप्रार्थीगण अपनी उपरोक्त दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थीया को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद नहीं हो सकेगी। अतः प्रार्थीया अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी है कि वह विवादित आराजी वर्णित मद सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी में मदाखलत मजामहत नहीं करें, रहनवयमुन्तकिल नहीं करें तथा रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

6. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से श्री रामकिशन पूनियां एड0 उपथित हुऐ, शेष अप्रार्थी सं. 3 व 4 के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र हेतु बार–बार अवसर प्रदान किये जाने के बाबजूद भी जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र दिनांक 15.12.2021 को बन्द किया गया।

7. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2073–76 वाके ग्राम तलछेरा, नकल फोटोप्रति दाखिला सं. 550 वाके ग्राम तलछेरा, तहसील नदबई पेश की गयी।

8. वकील अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में किसी प्रकार के मौखिक एवं दस्तावेजात पेश नहीं किये गये।

9. प्रार्थीगण के विद्वान वकील की प्रार्थना पत्र 212 आरटीए बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया। अप्रार्थी वकील ने बहस में किसी प्रकार के तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया।

10. हमने प्रार्थी के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तो पाया कि :–

1.<u>प्राईमाफेसी केस</u>– प्रार्थी [illegible] अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीए के तहत खातेदारी घोषणा का वाद[illegible] किया [illegible] के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत [illegible] प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2023.02.13 12:59:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आराजी खाता न. 480 के आराजी खसरा 135 व हाल आराजी खाता सं. 277 के आराजी 277 के आराजी खसरा नम्बर 136 रकवा 0.35, 137 रकवा 0.41 वाके ग्राम तलछेरा तहसील नदबई स्थित है, जिसकी नकल संबत 2073–76 वाके ग्राम तलछेरा पेश की गई। उक्त विवादित आराजीयात पर अप्रार्थी सं. 1 प्रताप पुत्र रघुवीर की खातेदारी का अंकन हो रहा है, तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल नामांतकरण सं. 550 वाके ग्राम तलछेरा पेश की गई, इसके अलावा प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजीयात को प्रार्थीगण की पैतृक आराजी बताई गई है। जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा पैतृक संपत्ति का कोई दस्तावेजात पेश नही किया गया है। जिससे साबित होता हो कि उक्त आराजी अप्रार्थी सं. 1 प्रताप को किससे प्राप्त हुई। न ही किसी प्रकार का प्रमाणित सजरा पेश किया गया है। अतः उक्त विवादित आराजीयात पैतृक साबित नही होती है। इस प्रकार प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के हक में नहीं होकर अप्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है।

2. <u>सुविधा का सतुलन</u> –सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के हक में साबित है।
3. <u>अपूर्ण क्षति</u> – अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा, जो एक अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी अप्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/11/2022 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सिद्धार्थ पालानीचामी I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी,नदबई

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2023.02.13 12:59:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner